न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2296–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–12 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 1214/17/भू.अभि/2012.

1– विमल कुमार जैन पुत्र शिखरचंद जैन
2– राजकुमार जैन पुत्र शिखरचंद जैन
निवासीगण गैरतगंज
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कमलेश जैन पत्नी संतोष कुमार जैन
निवासी बुधवारा बाजार, सिलवानी
जिला रायसेन ....अनावेदिका

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा ग्राम बैगवां खुर्द तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 33/4, सर्वे क्रमांक 33/5, सर्वे क्रमांक 34/9/9/9, सर्वे क्रमांक 34/1 एवं सर्वे क्रमांक 34/9/9/2 के सीमांकन हेतु अधीक्षक, भू–अभिलेख, रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 6–6–12 को सीमांकन किया जाकर दिनांक 13–6–12 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार, सिलवानी को प्रेषित किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख के इसी प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 6–5–12 को तहसील न्यायालय को दिनांक 29–6–12 को सीमांकन बावत् पत्र भेजा गया था, जिसे काटकर दिनांक 29–5–12 किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्रों की तारीखों में भी काट–पीटकर ओवर राईटिंग की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार है, किन्तु अनावेदिका द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा आवेदकगण को कोई सूचना पत्र जारी किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक, भू–अभिलेख को सीमांकन की अधिकारिता नहीं है, संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन की अधिकारिता तहसीलदार को है । इस आधार पर कहा गया कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर सीमांकन किये जाने से निरस्ती योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन का क्या आधार है और कौन से स्थायी चिन्हों से सीमांकन किया गया, क्या हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है इन आवश्यक संगठक (इनग्रीडियट्स) पर विचार ही नहीं किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि सर्वे कमांक 34/1 रकबा 6.39 एकड़ में से 1.00–1.00 एकड़ भूमि आवेदकगण द्वारा कय की गई है, और कय दिनांक से ही वे उस पर काबिज हैं, तथाकथित सीमांकन से उनकी भूमि की सीमा परिवर्तित हो गयी है, जो नहीं की जा सकती थी । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन नहीं किए जाने के संबंध में कलेक्टर की रोक होने के बावजूद भी सीमांकन कार्यवाही करने में अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 34/1 का किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से नक्शे में बटांकन अथवा तरमीम नहीं किया गया है । अतः किया गया सीमांकन विधि विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1998 आर.एन. 106 एवं 1996 आर.एन. 357 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण एवं अनावेदिका दोनों के द्वारा भूमि क्रय की गई है, और अनावेदिका द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन करवाया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन पर प्रतिबंध के संबंध में कलेक्टर का कोई आदेश नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन की सूचना आवदेकगण के भाई को थी, और अधीक्षक, भू–अभिलेख सीमांकन करने के लिए सक्षम है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र हैं ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ही अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन किया जा सकता है, वह भी तब जब पूर्व का सीमांकन तहसीलदार द्वारा किया गया हो, और उनके द्वारा सीमांकन में त्रुटि की गई हो । वर्तमान प्रकरण में ऐसी कहां गलती हुई थी कि सीधे अधीक्षक, भू–अभिलेख के समक्ष सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया, अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा नहीं बतलाया गया है । यह भी कहा गया कि यदि मेरे भाई को सूचना दी गई थी, तब यह कैसे मान लिया जाये कि वह मेरे साथ ही रहता है, यह देखना आवश्यक था ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन दल द्वारा विधिवत आवेदकगण को सूचना दी जाकर अनावेदिका की भूमि का सीमांकन किया गया है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र पर तामीली स्वरूप आवेदक क्रमांक 2 के हस्ताक्षर भी हैं । सीमांकन दल द्वारा विधिवत सीमांकन पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार कर प्रतिवेदन तहसील न्यायालय को प्रेषित किया गया है, उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सूचना पत्र में पूर्व में सीमांकन हेतु नियत तिथि को काटकर 6–6–12 किया गया है और सूचना पत्र में भी दिनांक काटकर 2–6–12 के स्थान पर 29–5–12 की गई है, क्योंकि तहसील न्यायालय

द्वारा दिनांक 26–5–12 को प्रकरण दर्ज किया गया है, अतः दिनांक 2–6–12 को सूचना पत्र जारी करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, त्रुटिवश अंकित तिथि को सुधारकर दिनांक 29–5–12 अंकित करने में किसी प्रंकार की कोई विधि विपरीत कार्यवाही नहीं की गई है और चूंकि दिनांक 29–5–12 को सूचना पत्र जारी किया गया है, इसलिए सीमांकन दिनांक में संशोधित कर दिनांक 6–6–12 अंकित करने में भी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । उनका यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदिका द्वारा आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि सीमांकन दल द्वारा आवेदक कमांक 2 को सूचना पत्र जारी किया गया है, जो कि उसके द्वारा प्राप्त किया गया है । संहिता की धारा 129 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख को सीमांकन करने का अधिकार प्राप्त है । दर्शित परिस्थितियों में सीमांकन दल द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर